न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या – 67/22 GCMS NO 2023/34

1. बदरी पुत्र रामकरण जाति मीना निवासी कोडयाई तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
2. चेनबाई पुत्री रामकरण पत्नि रामनिवास जाति मीना निवासी अलूदा तहसील बौली
3. प्रेमबाई पुत्री रामकरण पत्नि श्रीराम जाति मीना निवासी खाट तहसील सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. जमना लाल पुत्र कन्हैया
2. जनकी बेवा कन्हैया (फौत) (हजफ)
3. लोहडकी पत्नि शंभूदयाल
4. मडडू पुत्र रामनारायण जातियान मीना निवासीयान कोडयाई तहसील बौली
5. प्रबंधक केनरा बैंक जयपुरिया तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
6. प्रबंधक बैंक आफ बडौदा शाखा पीपलदा तहसील बौली जिला सवाई माधोपुर
7. लैण्ड होल्डर तहसीलदार बौली जिला सवाई माधोपुर

रेस्पो0

(अपील विरूद्व मु0नं0 15/22 निर्णय दिनांक 7.10.22 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री जगदीश प्रसाद शर्मा

अभिभाषक रैस्पो0 श्री अशोक कुमार पारीक

दिनांक 11.11.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 225 विरुद्ध निर्णय दिनांक 7.10.22 न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण/अपीलांटगण द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीगण रामकरण पुत्र पीरया मीना निवासी कोडयाई के उत्तराधिकारी एवं कायम मुकाम है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 कन्हैया के वारिस है। पुराने खसरा न0 380,2570,381 कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 15 विस्वा भूमि सवंत 2012 से 2015 मे रामलाल ,बदरी पिसरान मन्ना मीना सा. देह एवं रामकरण पुत्र पीरया मीना की खातेदारी व कब्जे मे थी इसी तरह सवंत 2016 से 2019 की जमाबंदी मे दर्ज की गई। रामलाल व बदरी मीना ने उक्त भूमि की रजिस्ट्री करवाई है प्रार्थीगण के पिता व अप्रार्थीगण को कभी भी बेचान नही किया। रजिस्ट्री कन्हैया पुत्र श्योनारायण एवं मडडू पुत्र रामनारायण मीना के नाम हुई थी जो अप्रार्थीगण व उनके वारिस है। अर्थात प्रार्थीगण के पूर्वज रामकरण पुत्र पीरया निवासी कोडयाई ने अपना हक एवं खातेदारी अप्रार्थीगण के पूर्वजो को स्थानान्तरण नही किया। जबकि उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख दिनांक 20.9.62 मे प्रार्थीगण के पिता द्वारा किसी प्रकार का बेचान ही नही किया। जबकि उक्त बेचान के सबंध मे नामा0 संख्या 454 व 455 खोला गया। वर्ष 2002 से नया सेटलमेंट हुआ जिसके

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

बाद ख0न0 380 व 381 के नये नम्बर 5004 रकबा 0.57 कायम किये जिसमे प्रार्थीगण का रामकरण के जमाने से ही हमारा कब्जा काश्त चला आ रहा है। आज भी काबिज है। जो गलती से वर्तमान मे अप्रार्थी संख्या 1 से 4 की खातेदारी मे चल रही है। जबकि उक्त भूमि से अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई लेना देना नही है। जिसे पुरानी जमाबंदी अनुसार दुरूस्त कराया जाना आवश्यक है। उक्त आराजीयात पर अपने पिता के जमाने से कब्जा काश्त चला आ रहा है इस कारण प्रार्थीगण को बेदखल करवाये जाने की अवधि भी समाप्त हो चुकी है। गलती से भूमि की खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने के कारण यदि अप्रार्थीगण द्वारा भूमि को रहन बेचान कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वर्तमान खसरा न0 5004 रकबा 0.5700 है0 वाके ग्राम कोडयाई मे प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार की बाधा पैदा नही करे ना ही भूमि को किसी प्रकार से बेचान न्तकिल नही किया जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से प्रार्थीगण/अपीलांटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 5004 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम कोडयाई को रहन बेचान नही करने हेतु रेस्पो0 को पाबन्द किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/प्राथीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं पत्रावली के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किये बिना ही निर्णय पारित करने मे अहम भूल की है। विवादित भूमि साबिक खसरा न0 381 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा बारानी अब्बल राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2012 से 2015 के खाता संख्या 743 मे अपीलांट के पिता रामकरण पुत्र पीरया मीना के नाम से दर्ज थी। खाता संख्या 743 मे दर्ज खातेदार रामलाल,बदरी पुत्र मन्या जाति मीना के नाम से खसरा न0 380 रकबा 16 विस्वा, खसरा न0 2570 रकबा 5 बीघा 9 विस्वा की खातेदारी मे दर्ज थी। विवादित भूमि ख0न0 381 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा से खातेदार रामलाल,बदरी पुत्र मन्या का दूर दूर तक कोई संबंध नही था एवं विक्रय करने का रामलाल,बदरी पुत्र मन्या को कोई अधिकार भी नही था लेकिन दिनांक 20.9.62 को बिना किसी खातेदारी अधिकार के रामलाल,बदरी पुत्र मन्या ने खसरा न0 380 रकबा 16 विस्वा, 2570 रकबा 5 बीघा 9 विस्वा के साथ मे ख0न0 381 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा का विक्रय पत्र बिना किसी अधिकार के फर्जी तरीके से खसरा न0 381 को दर्ज कर दिया इसलिए फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज कराने के आधार पर किसी तरह का रेस्पो0 को विधिक अधिकार नही है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया इस कारण आदेश अधिनस्थ न्यायालय अपास्त किये जाने योग्य है। विवादित भूमि साबिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

ख0न0 380 रकबा 16 विस्वा , 381 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा के भू प्रबंध विभाग ने नवीन ख0न0 5002 रकबा 0.87 है0, 5003 रकबा 0.91 है0 , 5004 रकबा 0.57 है0 कुल रकबा 2.35 है0 बनाये है। फर्जी विक्रय पत्र के आधार पर साबिक खसरा न0 381 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा रेस्पो0 के नाम से दर्ज है। इस तथ्य पर अधिनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने प्रकरण संख्या 2013/18 मे अपीलांट संख्या 1 अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने के आदेश पारित किये है जबकि अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने के लिए अपीलांटगण की और से अपील प्रस्तुत की गई है। अतःअपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर रेस्पो0 को ताफैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि ग्राम कोडयाई तहसील बौली की भूमि हाल खसरा न0 5004 रकबा 0.57 है0 पर अपीलांटगण के कब्जे काश्त मे किसी तरह की बाधा उत्पन्न नही करे।

रेस्पो0 ने अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि वादग्रस्त आरजीयात से अपीलांटगण का किसी प्रकार का कोई सबंध वास्ता नही है। पुराने खसरा न0 380,2570 व 381 कुल किता 3 कुल रकबा 14 बीघा 15 विस्वा भूमि सम्वत 2012 से 2015 से पूर्व सम्वत 2014 से 2018 तक रामलाल,बदरी पिता मन्या मीना निवासी कोडयाई की खातेदारी मे दर्ज थी। तथा रेस्पो0 के पिताजी कन्हैया पुत्र श्योनारायण ,मडडू पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी कोडयाई को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20.9.62 से बेचान किया है तथा कब्जा संभलवाया है। जिसमे खसरा न0 381 रकबा 8 बीघा 10 विस्वा, 351 रकबा 4 बीघा 13 विस्वा, 373 रकबा 4 बीघा 13 विस्वा भूमि क्रय की गई थी। इस प्रकार उक्त विक्रय पत्र मे भूमि खसरा न0 381 का बेचान भी शामिल है। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि उक्त विक्रय पत्र फर्जी है तो अपीलांट द्वारा फर्जीयत के सबंध मे कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए थी। रेस्पो0 वादग्रस्त आराजीयात के सदभाविक क्रेता है जिनको विक्रय पत्र के आधार पर नामा0 के जरिये भूमि की खातेदारी विधिवत रूप से प्राप्त हुई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र के तीनो बिन्दुओ प्राईमाफेसी केस,सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति के बिन्दुओ का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाकर आराजी ख0न0 5004 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम कोडयाई को रहन बेचान नही करने हेतु रेस्पो0 को पाबन्द किया गया है। इस प्रकार अपीलांट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आंशिक स्वीकार किया है जिसमे विरूद्व अपीलांट द्वारा यह अपील पेश की गई है जो विधि के प्रावधानो के विपरीत होने से चलने योग्य नही है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणो की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि अधिनस्थ न्यायालय मे प्रार्थीगण/अपीलांट द्वारा भूमि खसरा न0 5004 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम कोडयाई मे प्रार्थीगण/अपीलांट के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करने एवं भूमि को रहन बेचान नही करने हेतु रेस्पो/अप्रार्थीगण को पाबद कराने की इस्तदुआ

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

चाही गई थी। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए उक्त आराजीयात ख0न0 5004 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम कोडयाई तहसील बौली को [illegible] बेचान या अन्य तरह से मुन्तकिल नही करने हेतु रेस्पो/अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा [illegible] निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। अपीलांट अधिवक्ता अपील के माध्यम से वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 5004 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम कोडयाई मे अपीलांट के कब्जे काश्त मे [illegible] नही करने हेतु रेस्पो0/अप्रार्थीगण को पाबंद कराना चाहते है परन्तु वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 5004 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम कोडयाई पर अपीलांट का कब्जा हो इस तथ्य को अपीलांट किसी दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नही कराया गया है ना ही पत्रावली मे कब्जे के संबंध मे किसी प्रकार का कोई दस्तावेज उपलब्ध है। जिससे वादग्रस्त आराजीयात पर अपीलांट का कब्जा सिद्व हो सके। वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 5004 रकबा 0.57 है0 वाके ग्राम कोडयाई वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे जमना पुत्र कन्हैया, जनको देवी पत्नि स्व0कन्हैया मीना के नाम दर्ज रिकार्ड है जो कन्हैया की विरासत से रेस्पो0 के नाम दर्ज हुई है। इस प्रकार किसी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बौली के प्रकरण सख्या 15/22 मे पारित निर्णय दिनांक 7.10.22 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 11.11.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर